सं.ओ.वि./पानीपत/80-84/32834.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. आदर्श वूल इन्डस्ट्रीज़, बीवर्ज कालोनी, पानीपत, के श्रमिक श्री लख्पत तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री लख्पत की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./एफ.डी.-83-84/32840.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) मै. गैडोर टूल्ज़ प्रा.लि., यूनिट नं. 3, न्यू इन्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद (2) प्रैजीडेन्ट दी गैडोर इम्पलाईज़ प्राईमरी को-आप्रेटिव कन्ज़्यूमरज़ स्टोर लि., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री धर्म पाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :—

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-68श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री धर्म पाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./79-84/32848.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. साकम्बरी कैमीकल्ज़ एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., प्लाट नं. 70, सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुरजीत कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :—

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254 दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी.श्रम-68श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुरजीत कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./एफ.डी./138-84/32855.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जमीरा इन्टरप्राईज़िज, 341 बी, नेहरू ग्राऊंड फरीदाबाद, के श्रमिक श्री चून्नी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी.-श्रम-68-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चून्नी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./रोहतक/15-84/32862.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) मै. जनरल मैनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक, (2) नियंत्रक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573 दिनांक 6 नवम्बर,

1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3834-ए.एस.ओ.(ई) 70/1348 दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./जी.जी.एन./102-84/32870.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. दीपक मिनरल वाटिंग एण्ड पोटरी क., दौलताबाद रोड, गुड़गांवा, के श्रमिक श्रीमती नारायण देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254 दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-68-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्रीमती नारायण देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./67-84/32877.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. नव तारा एण्ड क., प्लाट नं. 168, सैक्टर 25, बल्लभगढ़, के श्रमिक श्री कृष्णा मांझी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254 दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-68-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री कृष्णा मांझी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./107-84/32884.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. स्टेनलैस एण्ड स्टील प्रोडक्टस कम्पनी, 19 डी.एल.एफ. इण्डस्ट्रियल एरिया 11, 13/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वासुदेव धाम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-68श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री वासुदेव धाम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./भिवानी/32891.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. मैं. नियंत्रक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़, 2. महाप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, जीन्द, के श्रमिक श्री सूबे सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है।

क्या श्री सूबे सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?